भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2485

जिसका उत्तर सोमवार, 15 दिसम्बर, 2025/24 अग्रहायण, 1947 (शक) को दिया गया

एमएसएमई के लिए पारस्परिक ऋण गारंटी योजना

2485. श्री दुष्यंत सिंह:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) एमएसएमई के लिए म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी योजना की पात्रता मानदंड और कार्यान्वयन ढांचे के साथ-साथ किस तरह से इस योजना से वित्तीय समावेशन को बढ़ाने और छोटे व्यवसायों के लिए ऋण पहुंच का विस्तार करने की उम्मीद है;

(ख) उक्त योजना के तहत दुरुपयोग, धोखाधड़ी या अनियमित दावों को रोकने के लिए स्थापित सुरक्षा उपाय क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस योजना के लिए पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए कोई स्वतंत्र लेखापरीक्षा या निगरानी तंत्र बनाया है; और

(घ) छोटे बिजनेस और व्यक्तिगत करदाता के लिए अनुपालन का बोझ कम करने के लिए नए आय कर अधिनियम में लाए जा रहे विशिष्ट आसान तरीकों का ब्यौरा क्या है और ये तरीके कर सुधार और व्यापार करने की सुगमता के बड़े उद्देश्यों के साथ कैसे जुड़े हैं?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क): सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लिए म्युचुअल ऋण गारंटी योजना (एमसीजीएस-एमएसएमई) का शुभारंभ किया गया है, जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय ऋण गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (एनसीजीटीसी) द्वारा सदस्य ऋणदात्री संस्थानों (एमएलआई) को 100 करोड़ रुपये तक की ऋण सुविधा के लिए 60% गारंटी कवरेज प्रदान किया जाता है, जो एमसीजीएस-एमएसएमई के अंतर्गत पात्र सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को उपकरण/मशीनरी की खरीद के लिए स्वीकृत की जाती है।

एमसीजीएस-एमएसएमई के अंतर्गत उधारकर्ताओं के लिए पात्रता मानदंड निम्नानुसार है:-

(i) यह वैध उद्यम पंजीकरण संख्या वाला एमएसएमई होना चाहिए;

(ii) किसी भी ऋणदाता के पास गैर-निष्पादित आस्तियां (एनपीए) नहीं होनी चाहिए;

(iii) उपकरण/मशीनरी की न्यूनतम लागत परियोजना लागत का 75% है;

यह योजना एनसीजीटीसी द्वारा कार्यान्वित की जा रही है, जो भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है। एमएलआई पात्र उधारकर्ताओं को ऋण स्वीकृत करेगा और फिर शुल्क के भुगतान के साथ एनसीजीटीसी के पोर्टल पर ऋण खाते का ब्यौरा प्रस्तुत करेगा, जिसके बाद एमएलआई को इस योजना के अंतर्गत ऋण की गारंटी की पुष्टि होगी।

(ख) और (ग): एनसीजीटीसी द्वारा कुछ बुनियादी सत्यापन सुनिश्चित करने के लिए एक पोर्टल विकसित किया गया है और ऋणदाता इन मान्यताओं को पूरा करने वाले उधारकर्ताओं के संबंध में आंकड़े प्रस्तुत करते हैं और साथ ही बही खाता भी प्रस्तुत करते हैं, जिसकी मेकर-चेकर अवधारणा के माध्यम से दावा निपटान के समय एनसीजीटीसी द्वारा जांच की जाएगी/सत्यापित किया जाएगा। इसके अलावा, यह निधि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षकों की एक स्वतंत्र फर्म द्वारा लेखा परीक्षा के अध्यधीन है।

(घ): आयकर अधिनियम, 1961 की समयबद्ध व्यापक समीक्षा की गई, जिसमें अधिनियम को सरल, स्पष्ट और सुगम बनाने, सभी करदाताओं तक पहुंच सुनिश्चित करने, मुकदमेबाजी को कम करने और संदिग्धताओं को दूर करने पर जोर दिया गया। आयकर अधिनियम, 1961 में छोटे व्यवसायों और व्यक्तिगत करदाताओं के लिए अनुपालन के बोझ को कम करने के लिए हाल ही में किए गए प्रत्यक्ष करों से संबंधित विभिन्न उपायों को भी आयकर अधिनियम, 2025 में शामिल किया गया है। ये उपाय निम्नानुसार हैं:-

(i) आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 58 के अंतर्गत व्यवसायों के लिए अनुमानित कराधान के उपबंध।
(ii) आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 63 के अंतर्गत व्यवसायों के लिए कर लेखा परीक्षा के उपबंध।
(iii) आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 206ग के अंतर्गत विनिर्दिष्ट वस्तुओं की बिक्री पर स्रोत पर कर संग्रह (टीसीएस) को हटाकर अनुपालन भार में कमी लाने के उपबंध।
(iv) स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस)/ स्रोत पर कर संग्रह (टीसीएस) दरों का युक्तिकरण।
(v) आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 140 के अंतर्गत स्टार्ट-अप को कर लाभ के लिए समय-सीमा का विस्तार।
(vi) आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 140 के अंतर्गत सूक्ष्म और लघु उद्यमों को केवल वास्तविक भुगतान पर कुछ कटौतियों की अनुमति देने का उपबंध।

*****